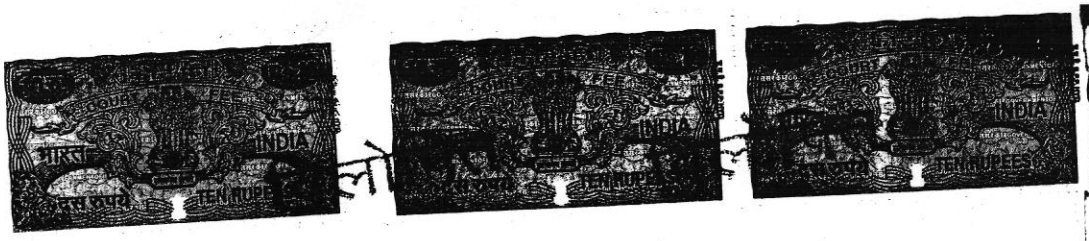

16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. I/अपील/शिवपुरी/भू.रा./2017/3954

नारायणदास पुत्र श्री रामदीन खटीक,
निवासी – करैरा कृषक ग्राम चिरली,
तहसील करैरा जिला, शिवपुरी (म.प्र.)

............अपीलार्थी

बनाम

म.प्र. शासन ....प्रतिअपीलार्थी

श्री लखन सिंह धाकड़ अभि० द्वारा आज दि. 23.10.17 को प्रस्तुत
23.10.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दिनांक 8.11.17

23/10/17
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 128/16–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

अपीलार्थी की ओर से अपील आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि प्रश्नाधीन कृषि भूमि सर्वे क्र. 1485/27/4 रकवा 2.00 हैक्टेयर अपीलार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है जो ग्राम चिरला, तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.) में स्थित हैं उक्त प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी ने यह कहते हुये विक्रय करने का आवेदन पत्र पेश किया कि पुत्री की शादी एवं शेष पुत्रियों की शिक्षा दीक्षा के लिये धन की आवश्यकता होने से अपने स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि को विक्रय करना चाहता है।

23.10.17

2– यह कि, उक्त विवादित भूमि के विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदाय हेतु अपीलार्थी ने एक आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण क्र. 144/14–15/अ–21 पर पर्जीबद्ध किया जाकर विवदित भूमि के संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी

XX...-SR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक / अपील / शिवपुरी / भू.रा. / 2017 / 3954 **जिला** – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.11.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है, जो 2013 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पंर प्रारंभ हुआ है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि वर्ष 2013 में शादी के लिए वर्ष 2016 में भूमि विक्रय का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने अपने आदेश में यह भी उल्लेखित किया है कि आवेदक स्वयं दंत चिकित्सक है। उनके पुत्र पुत्री कहां और किस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं किया है। उक्त कारण से उन्होंने कलेक्टर के भूमि विक्रय की अनुमति न देने संबंधी आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को निरस्त किया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके इस आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थितिं में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	